

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2022

जयपुर, दिनांक : 06-06-2024

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1.	108/2014	श्री अश्विनी कुमार शर्मा लैब टैक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।	31.03.2047	एफ-923, गांधीनगर (नया नं. 4/142, गांधीनगर)
2.	109/2014	श्री मोहनलाल सैनी कनिष्ठ अनुदेशक आचार्य, तकनीकी शिक्षा (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनीपार्क, जयपुर)	31.07.2042	एफ-927, गांधीनगर (नया नं. 4/146, गांधीनगर)
3.	48/2019	श्री महेश कटारिया, सहायक अनुभागाधिकारी कार्यालय मान. राज्यमंत्री राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग।	30.04.2050	4/69, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
4.	110/2014	श्रीमती मीनाक्षी सिंह कनिष्ठ लिपिक संयुक्त निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।	30.06.2030	एफ-928, गांधीनगर (नया नं. 4/147, गांधीनगर)
5.	112/2014	श्री राहुल सिंह संगणक निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।	31.12.2050	एफ-981, गांधीनगर (नया नं. 4/168, गांधीनगर)
6.	113/2014	श्री भंवरलाल शर्मा कनिष्ठ लेखाकार निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर।	30.09.2028	एफ-982, गांधीनगर (नया नं. 4/169, गांधीनगर)
7.	132/2020	श्री मोहन लक्षकार लिपिक ग्रेड-I सिविल एवियसन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2054	4-बी-1, बहुमंजिला, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
8.	114/2014	श्री संग्राम सिंह, वरिष्ठ लिपिक, निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर।	31.07.2029	एफ-983, गांधीनगर (नया नं. 4/170, गांधीनगर)
9.	116/2014	श्रीमती सीता जाजोरिया नर्स ग्रेड-द्वितीय अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।	31.07.2048	4/19, गांधीनगर
10.	117/2014	श्री सुरेश कुमार शर्मा सहायक उप निरीक्षक (वि.शा.) जोन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर, जयपुर।	31.08.2026	4/51, गांधीनगर

RajKaj Ref
7798707



11.	133/2020	श्री जयनारायण गुर्जर लिपिक ग्रेड-1 सिविल एवियसन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2052	4-ए-16, बहुमंजिला, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
12.	118/2014	श्री विष्णुदत्त मेहता, सूचना सहायक कार्यालय सीएमएचओ जयपुर-द्वितीय।	30.09.2042	4/55, गांधीनगर
13.	119/2014	श्रीमती ज्योति कुमारी सहायक लोक अभियोजक अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।	31.01.2037	4/78, गांधीनगर
14.	120/2014	श्री हनुमान सहाय रैगर कनिष्ठ लिपिक निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।	31.10.2035	4/109, गांधीनगर
15.	134/2020	श्री अजय कुमार मीना लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-1/एसीआर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2054	4/166, (पुराना न. एफ-979) गाँधीनगर
16.	122/2014	श्री सुरेन्द्र कुमार नर्स ग्रेड-2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	30.06.2036	4/127, गांधीनगर
17.	123/2014	श्रीमती भारती टेकवानी संगणक आयोजना संस्थागत वित्त निदेशालय आर्थिकी एवं सांख्यिकी, राजस्थान जयपुर।	30.09.2049	4/134, गांधीनगर
18.	124/2014	श्री मुकेश कुमार शर्मा संगणक आयोजना संस्थागत वित्त निदेशालय आर्थिकी एवं सांख्यिकी, जयपुर।	30.06.2047	4/137, गांधीनगर
19.	135/2020	श्री अर्जुन कुमार मीना लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-4/लिटिगेशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2045	4/138, गांधीनगर
20.	126-A/2014	श्री लोकेश शर्मा लैब टेक्नीशियन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष विकृति विज्ञान विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्या लय, जयपुर।	30.09.2047	4/148, गांधीनगर
21.	127/2014	सुश्री अनिता डांगी सूचना सहायक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जयपुर।	30.11.2052	4-डी-21, बहुमंजिला, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

RajKaj Ref
7798707

6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 07, 11 एवं 21 से कॉमन सुविधा राशि रूपये 150/- (अक्षरे राशि रूपये एक सौ पचास मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय/जेके लोन चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान, बनीपार्क, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग/पशुपालन विभाग/अभियोजन विभाग/साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. सीएमएचओ जयपुर-गा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
17. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित राजकीय आवास 07 दिवस में रिक्त कर सा0नि0वि0 को कब्जा संभलवायें।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव